सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST-184/10/ATY-57/203/2021-RO-RNC **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

1. **श्री आरएस भट्टी**
पुलिस महानिदेशक,बिहार पुलिस
मुख्यालय, सरदार पटेल भवन, नेहरु मार्ग,
पटना -800023 (बिहार)
ई मेल: dgp-bih@nic.in
दूरभाष: 9431602302

2. **डॉ० चंद्रशेखर सिंह**
जिला पदाधिकारी
कलेक्ट्रेट कैंपस, निकट सिपाही द
पटना -800001 (बिहार)
ई मेल: dm-patna.bih@nic.in
दूरभाष: 6122219545

3. **श्री राजीव मिश्रा**
वरीय पुलिस अधीक्षक
मैदान रोड, मुरादपुर,
पटना -800001 (बिहार)
ई मेल: ssp-patna-bih@nic.in
दूरभाष: 9431822967

विषय: अनुसूचित जनजाति (ST) की 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, बेली रोड, पटना में जबरन कामवाली/ मनोरंजन का साधन बनाकर रखे जाने, मार-पिटाई और गाली-गलौज का दुर्व्यवहार किये जाने से बचाने के लिए विधिपूर्ण कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोरंजन प्रसाद, वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना-800014 (बिहार) का अभ्यावेदन दिनांक शून्य पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-
श्री राजीव रंजन प्रसाद,
वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना, बिहार -800014

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST-184/10/ATY-57/203/2021-RO-RNC

श्री राजीव रंजन प्रसाद, वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना, बिहार की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत

सुनवाई की तिथि : 28.06.2024, 12:40 P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री राजीव रंजन प्रसाद, वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना, बिहार से दिनांक शून्य की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उनका कहना है कि वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट, मनोकामना मंदिर के समीप, विजय नगर, अम्बेडकर पथ, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना, बिहार के फ्लेट न.- 101 में एक पति पत्नी रहते है, उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) की 13 वर्षीय नाबालिग बालिका(निशा कोड़ा) को जबरन कामवाली/ मनोरंजन का साधन बनाया गया है व मार-पिटाई और गाली-गलौज कर दुर्व्यवहार किया गया है।

2. आयोग द्वारा इस मामले के संबंध में पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस, जिला पदाधिकारी, पटना व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस, पटना को दिनांक 11/07/2024 को नोटिस भेजा गया था और 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी

3. जिसके सम्बंध में पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस, जिला पदाधिकारी, पटना व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस, पटना की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग द्वारा दिनांक 28.06.2024 को पुलिस महानिदेशक बिहार पुलिस, जिला पदाधिकारी, पटना व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना, उपस्थित हुए, शिकायतकर्ता प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होने बताया कि पुलिस प्रशासन ने बालिका निशा कोड़ा के संबंध में पड़ोसियों, गार्ड व वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट के सचिव श्री सत्येंद्र नारायण सिंह से बात की है जिसमें

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

उन्होने पाया कि फ्लेट संख्या-101, जो कि श्री जयप्रकाश सिंह अधिवक्ता एवं उनकी पत्नी सुजाता सिंह अधिवक्ता के नाम रजिस्टर्ड है वर्ष 2021,2022, व 2023 तक एक लड़की काम करती थी लेकिन वह लड़की अब उक्त पते पर नहीं है | आयोग ने पाया की निशा कोड़ा नाम की लड़की अपार्टमेंट के फ्लैट सं 101 में लगभग तीन वर्ष तक काम किया है अतः लड़की की सुरक्षा एवम् बरामदगी की जिम्मेंवारी पुलिस प्रशासन की है |

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. वीनस एन्क्लेव अपार्टमेंट के फ्लेट संख्या-101 के मालिक से लड़की के बारे में पूछताछ कर जांच की कार्रवाई की जाए |
2. मामले में पुनः जांच करते हुए पीड़िता का पता लगाया जाए एवम् उसके माता पिता, गाँव, थाना, एवं उसके परिवारजन का पता लगाया जाए की वह अभी कहाँ रहती है |
3. दोषीगण के विरुद्ध बालश्रम एक्ट, पोस्को एक्ट, बंधुआ मजदूरी एक्ट तथा एससी/एसटी(POA) एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए |

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग में प्रस्तुत की जाए

आशा लकड़ा
12/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित ज़नजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes

Case File No.- NCST-184/10/ATY-57/203/2021-RO-RNC

List of Participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from the O/o Director General of Police, Bihar, District Megistrate and Superintendent of Police, Distt.- Patna, Bihar

Shri Abhinav Dhiman SP, West Patna O/o Superintendent of Police